उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
(ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अभिकरण)

प्रथम तल, पंचायतीराज निदेशालय,
आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड,
देहरादून.

दूरभाष :0135-2608125,फैक्स :2608126.
ईमेल :ut-urrda@pmgsy.nic.in.
urrda@yahoo.com.

पत्रांक:3485 /पी2–12/प्रतिकर/यू0आर0आर0डी0ए0/2016 दिनांक 21 मार्च 2016

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून

मुख्य अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
कुमाऊं क्षेत्र, अल्मोड़ा

विषयः– पी0एम0जी0एस0वाई0 के अर्न्तगत निर्मित/निर्माणाधीन मार्गों के निर्माण से क्षतिग्रस्त परिस्थितियों के प्रतिकर प्रस्तावों के संबंध में ।

महोदय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत निर्मित/निर्माणाधीन मार्गों से क्षतिग्रस्त भूमि फसल पेड़ों गूलों, पेयजल पाइप लाइनों, विद्युत पोल शिफ्टिंग, संपर्क मार्गों का पुनर्निमाण व भवनों आदि के प्रतिकर प्रस्ताव अत्यधिक मात्रा में क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं द्वारा अनुमोदित कर इस कार्यालय को धंनावटन हेतु प्राप्त हो रहे हैं। यू0आर0आर0डी0ए0 स्तर पर प्रतिकर प्रस्तावों का परीक्षण करने पर उनमें काफी त्रुटियां प्राप्त हो रही हैं। संबंधित काश्तकारों जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिकर भुगतान के संबंध इस कार्यालय में धरना प्रदर्शन आदि के माध्यम से धंनावटन हेतु अनावश्यक दबाव डाला जाता है। उन्हें पी0आई0यू0 स्तर से गलत जानकारी देकर यह कह दिया जाता है कि प्रस्तावों पर यू0आर0आर0डी0ए0 स्तर से धंनावटन नहीं किया जा रहा है जिससे विभाग की छवि खराब हो रही है, यह स्थिति किसी भी दशा में उचित नहीं है, प्रतिकर प्रस्तावों के परीक्षण पर सामान्यतः तथा निम्न कमियां पाई गई हैं:–

1– प्रतिकर प्रस्तावों पर जो आख्या दी जाती है वह काफी कम एवं अपूर्ण होती हैं। प्रतिकर प्रस्तावों पर मोटर मार्ग निर्माण से हुई क्षति का पूर्ण विवरण, मार्ग की चैनेज, क्षति की लम्बाई/चौडाई, मोटर मार्ग की स्वीकृति, डी0पी0आर0 में प्राविधान तथा अब तक आवंटित धनराशि का पूर्ण औचित्य पूर्ण विवरण दिया जाना चाहिए ताकि प्रकरण के संबंध में पूर्ण विवरण की जानकारी प्राप्त हो सकें।

2– प्रतिकर प्रस्तावों पर पूर्व निर्धारित प्रपत्र नहीं लगाये जा रहे हैं कतिपय प्रस्तावों पर जो प्रपत्र लगाये भी जा रहे हैं वे भी अपूर्ण होते हैं। प्रतिकर प्रस्तावों पर सभी पूर्व निर्धारित प्रपत्र, चैकलिस्ट आदि पूर्ण रूप से भर कर ही प्रतिकर प्रस्तावों पर संलग्न की जायें।

3– मोटर मार्गों के निर्माण में डम्पिंग यार्ड आदि का प्राविधान स्वीकृत होते हुए भी मार्ग के संरेखण के बाहर की क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों यथा, दवान फसल पेड़ों, संपर्क मार्गों, पेयजल पाइप लाइनों आदि के प्रतिकर प्रस्ताव धनोंवटन हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं जो कि शासनादेश सं 1115/पी2–12/यू0आर0आर0डी0ए0/2015 दिनांक 25.07.2015 के प्राविधानों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। इस प्रकार की क्षति पूर्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित ठेकेदार का है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर इन निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

4– प्रतिकर प्रस्तावों के अर्न्तगत व्यक्तिगत/प्राईवेट सिंचाई गूलों के अत्यधिक प्रस्ताव प्रेषित किये जा रहे हैं जबकि सिंचाई गूलों का निर्माण राजकीय सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है। इस संबंध में निर्देश दिये जाते हैं सिंचाई गूलों के प्रतिकर प्रस्तावों पर सिंचाई विभाग तथा लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है। **''संबंधित गूल/नहर उनके विभाग की नहीं है''** बिना प्रमाण पत्र के कोई भी प्रस्ताव अग्रसारित न किया जाये।

5– कुछ प्रतिकर प्रस्तावों में अधिग्रहित की जाने वाली नाप भूमि,फसल पेड़ों, दबान आदि के प्रस्ताव संयुक्त रूप से गठित किये जा रहे हैं जिसमें परीक्षण करने में अत्याधिक समय लग जाता है जिस कारण कास्तकारों की नाप भूमि का प्रतिकर प्रस्तावों पर धंनावटन समय से नहीं किया जा सकता है। अतः निर्देश दिये जाते हैं भूमि प्रतिकर प्रस्ताव पृथक से प्रेषित किया जाये तथा पेड, फसल, दबान आदि के प्रतिकर प्रस्ताव अलग से प्रेषित किया जाये।

6– कतिपय पी0आई0यू0 द्वारा एक ही खण्ड के अर्न्तगत एक ही जनपद में भूमि से संबंधित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत सर्किल दरें अलग–अलग रूप में लगाई जा रही हैं यथा किसी मार्ग पर कृषि भूमि तथा किसी मार्गपर पूर्ण रूप से अकृषिक भूमि की दरें लगाई जा रही हैं जिससे विरोधाभास की स्थिति पैदा हो रही है। अतः नाप भूमि की सभी दरों में एकरुपता के अनुसार ही प्रस्ताव गठित किये जायें। सभी गठित प्रतिकर प्रस्तावों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क विलेख शुल्क दाखिल खारिज शुल्क में भी शासनादेशों के अनुसार एक रुपता लाई जाये।

7– कतिपय प्रतिकर प्रस्तावों में पक्की दिवारों का प्राविधान किया जा रहा है। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 3126/यू0आर0आर0डी0ए0/2016 दिनांक 18.02.2016 के साथ संलग्न Report of the ExpertGroup on measures for Achieving Economy in construction of Rural Roads under PMGSY के पृष्ठ सं0 12 पर Special Engineering Measures in hill area के बिन्दु सं0 5.6 पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाएं –

1– 3.00मी ऊंचाई तक की रिटेनिंग/बेस्ट वाल का निर्माण R.R.Dry में।

2– 3.00मी से 6.00 तक की दीवारों का निर्माण वैन्डेड वाल में।

3– 6.00 से अधिक ऊंचाई की दीवारों का निर्माण R.R.Stone masonry 1:5 में किया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि सभी प्रतिकर प्रस्तावों पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही के उपरान्त ही शासनादेश दिनांक 25.07.2015 के प्राविधानों के अर्न्तगत स्वीकृत करते हुये इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। इस संबंध में अपने स्तर सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 उत्तराखण्ड को भी उक्तानुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।

21/3/16
मुख्य अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0
19/3/2016

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 – समस्त अधीक्षण अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 उत्तराखण्ड।
2 –'समस्त अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 उत्तराखण्ड।

24/3/16
मुख्य अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0
19/3/2016